

To,
Principal Chief Conservator of Forest
Cum FCA Nodal Officer,
Jhalana Institutional Area
Aranaya Bhawan, Jaipur (Rajasthan)

Date: 19/12/2019

Subject: Compliance Report of EDS Letter regarding Forest diversion Proposal No. **FP/RJ/ROAD/41266/2019.**

Ref: EDS letter no. F14 () 2018/FCA/PCCF/EDS-II Dated 06.12.2019


Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS vide above cited letter regarding Forest Diversion Proposal "**Construction of Toll Plaza Between Km 115.00 to Km 116.00 at Delhi - Jaipur Section of NH-8, in the state of Rajasthan**".

We have incorporated all the comments and uploaded the required document on **MoEFCC** Web portal for your reference and further processing please.

Point Wise Compliance Report:

Point No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
1	The information regarding proposal submitted in past and proposal under processing not submitted by user agency.	Past proposal details has been Uploaded in part-1 at Serial No. B1.
2	There is difference in area asked for diversion and area given in KML, which should be rectified.	Revised KML file has been Uploaded in Part-1.
3	In GT sheet, the proposed area for diversion is indicated 0.024 ha. please rectify it as per area proposed for diversion.	Revised GT Sheet Map has been Uploaded in Part-1.
4	In DGPS map also, the proposed area for diversion is only 0.024 ha. please rectify as per diversion proposal.	Revised DGPS Map has been Uploaded in Part-1.
5	Justification for non compliance of in-principle approval in earlier should be given.	During the period our Correspondence address become change and we have not received any letter/communication from forest department regarding stage-1 compliance therefore we couldn't submit the point wise compliance of said approval. Detail Justification for not submitting the stage-1 compliance and request Letter for fresh proposal is enclosed.
6	Revenue map should also be given on which project layout and area should be clearly marked.	Revenue Map with Proposed Forest Land has been Uploaded in Part-1


(G.C. Mathur)
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतमार्ग, प.का.ई. / NHAI PIU, Jaipur

Place: Jaipur
Date: 19.12.2019

Signature of User Agency
Office Seal



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर
Project Implementation Unit, Jaipur
डी-148, आर.एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021
D-148, Behind RSEB Sub-Station, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141-2351427
फैक्स / Fax : 91-141-4026465
ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org

190

क्रमांक: 23040/भाराराप्रा/जेपीआर/वन विभाग/एमकेएस/2019/281

दिनांक 29.04.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., जयपुर

विषय:-दिल्ली - जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से 118 के मध्य नया टोल प्लाजा के निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमान् आपके पत्र दिनांक 11.04.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें इस सम्बन्ध में मुझे निम्नानुसार अवगत कराना है कि:

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र संख्या 677 दिनांक 08.09.2009 (संलग्नक-1) के द्वारा जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति कुछ शर्तों के अधीन प्रदान की गई थी, जिन शर्तों की पालना भाराराप्रा द्वारा की जानी थी।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति अतिरिक्त सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 18.06.2009 (संलग्नक-2) के क्रम में जारी की गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि 2.85 हैक्टेयर वन भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर वन भूमि में सम्मिलित है एवं उक्त वन भूमि में से मात्र 240 वर्गमीटर भूमि के उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होगी।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में यह उल्लेखित किया है कि उक्त टोल प्लाजा 2 वर्ष पूर्व अर्थात् 2007 से शुल्क संग्रहण का कार्य किया जा रहा है अर्थात् वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होने से पूर्व ही हो गया था। अर्थात् सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात् वन संरक्षण अधिनियम का कोई भी उल्लंघन भाराराप्रा स्तर से नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त इस प्रकरण में अवगत कराना है कि पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोटपूतली का कार्यालय बिलासपुर में था एवं आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण हेतु जितने भी पत्राचार किये गये सभी कोटपूतली कार्यालय को किये गये परन्तु दिनांक जुलाई 2009 (संलग्नक-3) में कोटपूतली इकाई का जयपुर इकाई में विलय कर दिया गया था। इस कारण उक्त पत्र एवं उसके बाद के सभी पत्र परियोजना प्रबंधन इकाई, कोटपूतली में जाते रहे परन्तु इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए। प्रथम बार आपके पत्र दिनांक 02.03.2015 (संलग्नक-4) के माध्यम से उक्त प्रकरण की जानकारी इस कार्यालय को हुई, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 16.03.2015 (संलग्नक-5) के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ का पत्र दिनांक 08.09.2009 उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जिससे यह कार्यालय सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों से भिन्न होकर उनकी पालना करता।

4. परियोजना कार्यान्वयन इकाई के पत्र के क्रम में सूचना प्राप्त नहीं होने पर इस कार्यालय के प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत रूप से उप वन संरक्षक, अलवर एवं आपके कार्यालय से सम्पर्क करके इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्राचार की प्रतियाँ प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियारत थी परन्तु इसी बीच माह जुलाई 2015 (संलग्नक-6) में निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होते ही इस कार्यालय द्वारा पत्र

(G.C. Mathur)
परियोजना निदेशक / Project Director
भाराराप्रा, प.का.ई. / NHAI PIU, Jaipur

दिनांक 09.09.2015 (संलग्नक-7) के द्वारा पूर्व पत्र इस कार्यालय को नहीं मिलने के कारण उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का परिपालन नहीं होने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा खेद व्यक्त करते हुए आपसे पुनः अनुरोध किया गया था कि उक्त वर्णित सैद्धांतिक स्वीकृति के निरस्तीकरण पर पुनर्विचार करते हुए इस कार्यालय को उक्त शर्तों का पालन करने हेतु अनुमति दी जाए परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार अनुरोध करना है कि:

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक सहमति दिनांक 08.09.2009 एवं उसके बाद के पत्र भाराराप्रा के कार्यालय का स्थान परिवर्तन होने के कारण इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हो पाई जिसके कारण सैद्धांतिक सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा सका।
2. चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण का कार्य 2007 से ही चल रहा था जैसा कि आपके पत्र दिनांक 08.09.2009 में वर्णित है बाद में वन संरक्षण अधिनियम का इस कार्यालय द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा वर्ष 1996 में अपने पत्रांक 8-103/95-एफसी दिनांक 21.06.1996 (संलग्नक-8) के द्वारा 96 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के चारलेनीकरण हेतु किया गया था। कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण केन्द्र बनाने हेतु आवश्यक भूमि 2.58 हैक्टेयर भी पूर्व में प्रत्यावर्तित भूमि का भाग है, कई रस्तों पर काफी पत्राचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि मात्र 240 वर्गमीटर (जिसमें शुल्क संग्रहण केन्द्र बनना था) का भूमि उपयोग परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। आपको अवगत कराना है कि शुल्क संग्रहण केन्द्र को निर्माण भी मार्ग निर्माण का ही भाग होता है, जैसा कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में भी उल्लेखित है (संलग्नक-9) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुल्क संग्रहण (भारत सरकार राजस्व) का कार्य वर्ष 2007 से किया जा रहा था वह यही मानकर किया जा रहा था कि शुल्क संग्रहण का कार्य भी मार्ग निर्माण का भाग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझकर किसी भी नियम का उल्लंघन करने का उद्देश्य नहीं रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कृपया दिनांक 15.07.2015 द्वारा किये गये निरस्तीकरण आदेश पर पुनर्विचार करते हुए इस कार्यालय को यथोचित निर्देश देने की कृपा करें, जिससे इस प्रकरण को अन्तिम रूप दिया जा सके, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (संलग्नक 1 से 9)

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पकाई जयपुर।

प्रतिलिपि: मुख्य महाप्रबंधक (तक.) / क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा, जयपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से प.का.ई द्वारा वर्णित तथ्यों से अवगत कराते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ को सैद्धांतिक स्वीकृति के निरस्तीकरण पर पुनर्विचार करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए., जयपुर से अनुरोध करने की कृपा करें।

(G.C. Mathur)
परियोजना निदेशक / Project Director
भाराराप्रा, प.का.ई. / NHAI PIU, Jaipur